दिनांक 05.06.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

"विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया गया वृक्षारोपण

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 05.06.2024 को **"विश्व पर्यावरण दिवस"** के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु लखनऊ स्थित कैम्प कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा सभी पुलिस थानों, कार्यालयों आदि पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्वच्छ पर्यावरण बनाये रखने हेतु प्रत्येक स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा गया कि **प्रकृति के बिना मानव जीवन सम्भव नही** है, अतः अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगायें।

जनपद जौनपुर/थाना खेतासराय

●01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल, उपचार के दौरान मृत

●01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

●02 अवैध पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 04/05.06.2024 की रात्रि थाना खेतसराय, थाना सरपतहां, थाना बक्सा, थाना बदलापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोंगर से आगे पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ प्रिन्स घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल अभियुक्त प्रशान्त उर्फ प्रिन्स को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, प्रतापगढ़, अयोध्या, जौनपुर, महाराष्ट्र के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 37 अभियोग पंजीकृत हैं। मृत अभियुक्त जनपद जौनपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–प्रशान्त उर्फ प्रिन्स निवासी ईश्वरी नेवादा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–02 अवैध पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

• 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट एवं 03 मोबाइल टावर की बैट्री बरामद

दिनांक 04.06.2024 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट एवं 03 मोबाइल टावर की बैट्री बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन निवासी तुगलकाबाद एक्सटेंशन थाना गोविन्दपुरी नई दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट एवं 03 मोबाइल टावर की बैट्री।

जनपद गोण्डा/थाना धानेपुर

●लूट की घटना का अनावरण

●03 अभियुक्त गिरफ्तार

●लूट/चोरी के 24 हजार रूपये नगद

●लूट का 01 मोबाइल फोन

●04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड

●02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस

●घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 05.06.2024 को थाना धानेपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधवगंज नैपुरिया मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1—सुमित कुमार 2—शौर्य उर्फ हरसू 3—फैज अहमद को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटनाओ का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 24 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.06.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुमित कुमार निवासी ग्राम असधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

2—शौर्य उर्फ हरसू निवासी छेदीपुरवा जानकीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

3—फैज अहमद निवासी मो0इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट/चोरी के 24 हजार रूपये नगद।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

3–04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड।

4–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी</u>

• पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• 02 मोटर साइकिल

• 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 04/05.06.2024 को थाना गुलावठी, थाना बीबीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी की पटरी पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अफजाल 2–अरमान 3–फुरकान 4–समीर घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अरमान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त अफजाल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग व अभियुक्त फुरकान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अफजाल निवासी मोहल्ला पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

2–अरमान निवासी मोहल्ला पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

3–फुरकान निवासी मोहल्ला पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

4–समीर निवासी मोहल्ला पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–02 मोटर साइकिल।

2–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना मल्लावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/328/406 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बृजनन्दन 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––